



Refer: MSL/BSE/NSE/

January 17, 2026

BSE Limited  
25th Floor,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai 400 001  
Scrip Code: 523371

National Stock Exchange of India Ltd  
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,  
Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (E),  
Mumbai 400 051  
Scrip Symbol: MAWANASUG

**Sub: Submission of Notice for attention of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Mawana Sugars Limited ("Company") in respect of information regarding meeting convened as per the Order of the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench ("NCLT") in the matter of the Scheme of Amalgamation of Mawana Sugars Limited with and into Company and their respective shareholders and Unsecured Creditors.**

**Ref: Disclosure under Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended ("SEBI Listing Regulations").**

Dear Sir/Madam,

With reference to our earlier disclosures dated January 16, 2026, December 19, 2025, November 12, 2025, and August 02, 2025 regarding the proposed Scheme of Amalgamation of Mawana Foods Private Limited ("Transferor Company") with and into Mawana Sugars Limited ("Transferee Company" or "Company") and their respective shareholders and creditors under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder ("Scheme") and pursuant to Regulation 30 read with Clause 12 of Paragraph A of Part A of Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the Notice issued to the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Company, containing details of the meetings convened pursuant to the Order of the NCLT. The said meetings are scheduled to be held through Video Conference ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"). The Notice has been published on 17.01.2026 in the following newspapers for the information of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Company:

- Business Standard (English)
- Business Standard (Hindi)



**MAWANA SUGARS LIMITED**

CIN : L74100DL1961PLC003413

**Corporate Office:**

Plot No. 03, Institutional Area  
Sector-32, Gurugram-122 001 (India)  
T 91-124-4447856

**Registered Office:**

5th Floor, Kirti Mahal, 19, Rajendra Place  
New Delhi-110125 (India)  
T 91-11-25739103 F 91-11-25743659

E corporate@mawanasugars.com  
www.mawanasugars.com



Copies of newspaper publication are attached.

You are requested to kindly take the above information on your records.

Thanking you

Yours faithfully,


For Mawana Sugars Limited



**Ashok Kumar Shukla**  
**Company Secretary & Compliance Officer**  
**ACS-29673**



Encl: Copy of Newspaper advertisements.



**NAMDEV FINVEST PRIVATE LIMITED**

office at Plot No. 21, Neer Sagar-A, Bhankrota, Jaipur, Rajasthan

Ref.: No. NFPL-151137/151229  
To,  
1. Mrs. Anju PandeyW/o Gyanesh Kumar Pandey  
Address: Ward No. 10, Mughal Chak, Ali Nagar, Chandauli, Alinagar, Uttar Pradesh -232101  
2. Mr. Gyanesh Kumar PandeyS/o Sree Triveni Nath Pandey  
Address: Ward No. 10, Mughal Chak, Ali Nagar, Chandauli, Uttar Pradesh -232101  
3. Mr. Anil Kumar Yadav S/o Vikram Yadav  
Address: Nai Bajar, Maheshua, Sakaldiha Bazar, Chandauli, Uttar Pradesh -232109  
Sub: Notice U/No 13(2) read with Section 13(13) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Hereinafter called "act"): Account of (Loan No). 151137/151229.  
Dear Sir/Madam,  
At your request (hereinafter will be referred as Borrower) have been granted financial assistance by the NAMDEV FINVEST PVT. LTD. (hereinafter will be referred as Company/secured creditor), to the tune of Rs. 15,00,000/- (Rupees Fifteen Lakh only) to Mrs. Anju Pandey&45,00,000/- (Rupees Forty-Five Lakh only)to Mr. Gyanesh Kumar Pandeyagainst creation of security interest over the property mentioned below in schedule favour of the company.  
That as per the records of the company/secured creditor, there are defaults observed in of the repayment of the loan amount for all the above referred loan accounts. Subsequent upon the defaults committed by you, being more than a period of 90 days, your above referred loan account(s) bearing number 151137 was classified as Non-Performing Assets (NPA) on04-November-2025&151229 on 05-July-2025 by NFPL in its Books of Accounts maintained in regular course of business and in accordance with Reserve Bank of India directives and guidelines in this respect.  
Your 1stLoan A/c No. 151137outstanding liability owing to the Company is Rs. 15,01,707/- (Rupees Fifteen Lakh One Thousand Seven Hundred SevenOnly) as of 30-December-2025 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc.  
Bifurcation of Outstanding Amount as of 30.12.2025 for loan account number 151137.

Principal Outstanding	Rs. 13,49,067/-
Pending installments interest	Rs. 1,10,586/-
Late Payment Interest Amount	Rs. 29,104/-
Cheque Bouncing Charges	Rs. 7,000/-
Other Charges	Rs. 5,950/-
Total Amount Payable	Rs. 15,01,707/-

Your 2nd Loan A/c No. 151229outstanding liability owing to the Company is Rs. 50,33,467/- (Rupees Fifty LakhThirty-Three Thousand Four Hundred Sixty-SevenOnly) as of 30-December-2025 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc.  
Bifurcation of Outstanding Amount as of 30.12.2025 for loan account number 151229.

Principal Outstanding	Rs. 41,71,862/-
Pending installments interest	Rs. 6,06,311/-
Late Payment Interest Amount	Rs. 2,37,544/-
Cheque Bouncing Charges	Rs. 10000/-
Other Charges	Rs. 7,750/-
Total Amount Payable	Rs. 50,33,467/-

Your total outstanding liability of Your both accounts owing to the Company is Rs. 65,35,174/- (Rupees Sixty-Five Lakh Thirty-Five Thousand One Hundred Seventy-Four Only) as of 30-December-2025 and future contractual interest till actual realization together with incidental expenses, cost and charges etc.  
Under the provisions of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 the Company, as a secured creditor is empowered and entitled to take requisite measures for realization of outstanding dues of the Company as secured creditor and to do and perform all or any one or more such acts, deeds and things in regard to your assets charged in favor of the Company for above mentioned Loan/Advance/Credit facility/ies (Hereinafter referred to as "The Secured Assets") in case the payment is not made within a period of 60 days from the date of this notice.  
You are also put on notice in terms of sec 13(13) of the Act you shall not transfer by sale, lease or otherwise the said security property detailed in schedule blow of this notice without obtaining written consent of the Company/secured creditor. Any non-compliance of section 13(13) of the said act is an offence punishable under Section 29 of the Act.  
The notice is without prejudice to the Company's/secured creditor's right to initiate such other actions or legal proceedings, as it deems necessary under any applicable provisions of law. Further the Company/secured creditor do have the right to initiate civil or other action/proceedings as may deemed appropriate in addition to action contemplated in the instant notice for recovering in dues in above mentioned Loan Accounts.  
Your kind attention is invited to provisions of Sub Section (8) of the SARFAESI Act where under you can tender the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Company only till the date of publication of the notice for sale of the secured asset (s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty.  
Please also note that if the entire amount of outstanding dues together with the costs, charges and expenses incurred by the Company/secured creditor, is not tendered before publication of notice for sale of the secured Asset (s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty, you may not be entitled to redeem the secured Asset(s).  
Should you have any representation to be made in response to this notice, please mark the same to Mr. Mangal Chand Yadav NAMDEV FINVEST PVT. LTD. office at Namdev House, Plot No. 21, Neer Sagar-A, Bhankrota, Jaipur-302026, Rajasthan now to enable us to respond in time. Please note that we shall not be responsible for not responding to any of your representation made in response to this notice if the same is addressed to any other person or place.  
Borrower's attention is invited to provisions of subsection (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset(s).

SCHEDULE OF THE SECURITIES-

Allthe Piece and Parcel ofResidential PropertySituated at Arazi No 134, Mautja- Alinagar, Pargana-Dhoos, Tehsil-Sadar &Dist. Chandauli, Uttar-Pradesh,Total admeasuring area 4760.22 Square Feet Owned by Mrs. Anju Pandey W/o Gyanesh Kumar Pandey. North:Land of Mohan & Others South:Road to Khandajla Thereafter House of Rajnath East:Land of Ramlal West:Posterior Wall of Ekalavya Vidyalaya

Namdev Finvest Pvt. Ltd.  
Authorised Officer  
Mangal Chand Yadav

Thanking You

DCB Bank Limited,  
A-Set House, 7/56, D.B.Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi – 110005  
Corporate & Registered Office: 6th Floor, Tower A, Peninsula Business Park,  
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, Maharashtra

**DCB BANK**

**E- AUCTION SALE NOTICE**  
**(Under Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules2002)**  
**E-Auction sale notice for sale of immovable Assets under the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule,2002.**  
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s), co-borrowers and the guarantors in particular, by the Authorized Officer, that the under mentioned property is mortgaged to DCB BANK LTD., The Authorized Officer of the Bank has taken the possession under the provision of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The property will be sold by tender cum public E-auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and further interest, charges and cost etc. as per the below details:-- The property will be sold "as is where is", "as is what is", "as is how is" , " whatever there is " & on a "No Recourse" basis without any kind of warranties & indemnities.

Sr. No.	Name of Borrower and Guarantors	1. Reserve Price / 2. Earnest Money Deposit (EMD) / 3. Bid Increase Amount	Date of E-Auction	Type of Possession	Amount Due
1.	<b>M/S. NISHANT PHARMA (ITS' PROPRIETOR MR. PRANAV KUMAR HETAMPURIA), MR. PRANAV KUMAR HETAMPURIA AND MRS.UMA HETAMPURIA</b>	1.Rs.4900000(Rupees Forty Nine Lakh Only)-/ 2.Rs.4900000(Rupees Four Lakh Ninety Thousand Only)-/ 3.Rs.25,000/(Rupees Twenty Five Thousand Only)	25-02-2026 & 11am - 12pm	Physical	Rs.61,28,882.78/- (Rupees Sixty One Lakh Twenty Eight Thousand Eight Hundred Eighty Two And Paise Seventy Eight Only)
Details of Mortgage Property: ALL PIECE AND PARCEL OF PROPERTY NO.1/12014-A. OLD NO.1620 TOTAL AREA 83.61 SQ.MTR ON GROUND FLOOR OUT OF KHASRA NO.521/298-299 SITUATED AT VILLAGE ULDHANPUR IN THE ABADI OF NAEEN SHAHDARA DELHI BOUNDED BY EAST-PROPERTY OF OTHERS / WESTROAD / NORTH PROPERTY OF OTHERS / SOUTH DHARAM SHALA (The Secured Assets). CURRENT ASSETSEXCLUSIVE CHARGE BY WAY OF HYPOTHECATION OVER THE ENTIRE PRESENT AND FUTURE CURRENT ASSETS INCLUDING STOCKS, STORES, SPARES, BOOK DEBTS/RECEIVABLE AND ALL OTHER CURRENT ASSETS.					
2.	<b>1.MR. SUBHASH AND 2. JASWINDER KAUR</b>	1.Rs.2600000(Rupees Twenty Six Lakh Only)-/ 2.Rs.2600000(Rupees Two Lakh Sixty Thousand Only)-/ 3.Rs.25,000/(Rupees Twenty Five Thousand Only)	25-02-2026 & 11am - 12pm	Physical	Rs.3145378.57/-(Rupees Thirty One Lakh Forty Five Thousand Three Hundred Seventy Eight And Paise Fifty Seven Only)
Details of Mortgage Property: HOUSE NO.70-B, KHASRA NO. 16/13/1/4 SITUATED AT KUNJ VIHAR, VILLAGE KARDHAN AMBALA, HARYANA – 133001					
3.	<b>MR. JAIYANT, MR.BALBIR SINGH, MR. KULDEEP AND MRS. BHATERI</b>	1.Rs.1650000(Rupees Sixteen Lakh Fifty Thousand Only)-/ 2.Rs.165000(Rupees One Lakh Sixty Five Thousand Only)-/ 3.Rs.25,000/(Rupees Twenty Five Thousand Only)	25-02-2026 & 11am - 12pm	Symbolic	Rs.2024389/-(Rupees Twenty Lakh Twenty Four Thousand Three Hundred Eighty Nine Only)
Details of Mortgage Property: ALL THE PIECE & PARCEL OF KHEWAT NO 1103 KHATONI NO 1454 ADMEASURING 200 SQ GAJ YAKA RAKBA MOJA SIWANI WARD NO 2 SITUATED AT SIWANI DIST:BHIWANI					

Date and time of submission of EMD on or before 24-02-2026 up-to 5:00Pm, with request letter of participation KYC, Pan Card , Proof of EMD at email id nikunj.mathur@dcbbank.com, srajan.sharma@dcbbank.com and sumit.kumar16@dcbbank.com  
The intending purchasers/bidders are required to deposit EMD amount by way of Demand Draft ONLY favouring DCB Bank LTD.  
Inspection Date and Time:- of all properties from 16-02-2026 to 20-02-2026 Between 11:00AM to 04:00PM contact to Mr:Nikunj Mathur, Mobile- 9818979116 Mr. Sumit Kumar, Mobile- 7906633166 and Mr. Srajan Sharma - Mo.8395032800 between 11am to 6pm.

**TERMS AND CONDITIONS OF THE E-AUCTION**  
1) The properties are being sold on an "as is where is", "as is what is", "as is how is" & on a "No Recourse" basis without any kind of warranties & indemnities.  
2) All Statutory Dues/Attendant Charges/ Other Dues including registration charges, stamp duty, taxes, etc. shall have to be borne by the purchaser and the Authorizes Officer or the bank shall not be responsible for any charges, lien in encumbrances or any other dues to the government or anyone else in respect of the e-auctioned property not known to the bank, the Bidder is advised to make their own independent enquiries regarding the encumbrances on the property including Statutory Liabilities, Aareas of Property Tax, Electricity Dues etc.  
3) Contact T.Jaya Prakash Reddy, Mob. No: 8142000064 : Back End Office : 8142000066/63/62, Office mail id : info@bankauctions.in & Mail Id: prakash@Bankauctions.in at their web portal https://bankauctions.in/ on the dates as mentioned in the table above with Unlimited Extension of 5 Minutes. Bidders are advised to detailed terms and conditions of auction sale before submitting their bids refer to the link https://www.dcb.bank.in/cms/showpage/page/customer-corner.  
4) The interested bidders are required to register themselves with the portal and obtain login ID and Password well in advance, which is mandatory for e-bidding, from auction service provider (4closures.com) , Mob. No: 8142000064, Back End Office: 8142000066/63/62, Prospective bidders may avail online training on e-auction from their registered mobile number only.  
Online E-auction participation is mandatory in the auction process by making application in prescribed format which is available along-with the offer/tender document on the website. .

Sd/-  
Authorized Officer,  
DCB Bank Limited

Date: 17.01.2026  
Place : Delhi, Ambala, Hisar, Haryana

Notice under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The Act)

Sr. No.	Name of Borrower(s) (A)	Particulars of Mortgaged property / properties (B)	Date Of NPA (C)	Outstanding amount (Rs.) (D)
1.	<b>LOAN ACCOUNT NO. HLPAGR00289797 1. URWASHI VIG PROPRIETOR MIS URVASHI TRADERS 2. KULBHUSHAN VIG</b>	<b>FLAT NO. 12/B/1 ADMEASURING 850 SQ. FEET I. E., 78.96 SQ. MTRS. AND 12/B/2 ADMEASURING 660 SQ FEET I. E., 61.31 SQ. MTRS., TOTAL ADMEASURING 140.27 SQ. MTRS., FIRST FLOOR, SUPER AREA OF CONSTRUCTED OVER PLOT NO. 12, KHASRA NO. 149 AND 150 (MIN), SITUATED AT MARUTI CITY COLONY MAUZA, KAHARAI / TAJ GANJ WARD, AGRA - 282001, UTTAR PRADESH.</b>	<b>04.12.2025</b>	<b>Rs. 32,36,376.02/- (Rupees Thirty Two Lakh Thirty Six Thousand Three Hundred Seventy Six and Paise Two Only) as on 05.12.2025</b>
2.	<b>LOAN ACCOUNT NO. HHLDCP00128113 1. HARKESH SINGH 2. ROHINI SINGH 3. SHREEKANT SINGH (GUARANTOR)</b>	<b>FLAT NO. - 619, ON THE SIX FLOOR, IN BLOCK - D, TYPE 'D' DDA HIG FLATS, SECTOR - 29, ROHINI, NEW DELHI - 110085.</b>	<b>08.08.2024</b>	<b>Rs. 22,70,596.52/- (Rupees Twenty Two Lakh Seventy Thousand Five Hundred Ninety Six and Paise Fifty Two Only) as on 12.12.2025</b>
3.	<b>LOAN ACCOUNT NO. HHENDAD00381981 / HHLNDAD00376909 1. SURESH KUMAR PROPRIETOR SHIV SHAKTI ELECTRICALS 2. MEENAKSHI</b>	<b>ALL THAT ENTIRE 2ND FLOOR, WITHOUT ROOF RIGHTS, A PART OF FREE HOLD FOUR STOREYED BUILT - UP PROPERTY ON PLOT BEARING NO. 135, LAND AREA ADMEASURING 48 SQ. METERS IN BLOCK 'B' 'POCKET '6', SECTOR 11, SITUATED IN THE LAYOUT PLAN OF THE ROHINI RESIDENTIAL SCHEME, DELHI - 110085, WITH THE FREE HOLD PROPORTIONATE RIGHTS OF THE LAND UNDER THE SAID PROPERTY FITTED WITH SEPARATE ELECTRIC AND COMMON WATER SEWAGE CONNECTION, ROHINI RESIDENTIAL SCHEME, DELHI - 110085.</b>	<b>03.10.2025</b>	<b>Rs. 9,84,248/- (Rupees Nine Lakh Eighty Four Thousand Two Hundred Forty Eight Only) (against Loan Facility No. 1) and Rs. 14,99,639.38/- (Rupees Fourteen Lakh Ninety Nine Thousand Six Hundred Thirty Nine and Paise Thirty Eight Only) (against Loan Facility No. 2) having total outstanding amount of Rs. 24,83,887.38/- (Rupees Twenty Four Lakh Eighty Three Thousand Eight Hundred Eighty Seven and Paise Thirty Eight Only) (against Loan Facilities No. 1 and 2) as on 12.12.2025</b>
4.	<b>LOAN ACCOUNT NO. HHLJAG00556173 1. BABLI (CO - BORROWER, WIFE AS WELL AS LEGAL HEIR OF LATE RAMESH CHANDRA)</b>	<b>ALL THAT SECOND FLOOR, PVT. NO. 14 RIGHTS, FRONT MIDDLE RIGHT SIDE WITHOUT ROOF / COMMON TERRACE RIGHTS PROPERTY OUT OF BUILT - UP PROPERTY BUILT ON PLOT NO. 59 / 2, TAJ HOUSING HAVING SUPER AREA OF 65 SQ. YARDS I. E. 54.34 SQ. MTRS., OUT OF KHASRA NO. 15/17/1, BLOCK A - 3, TOWER - 3, VILLAGE RAZA PUR KHURD DELHI STATE COLONY KNOWN AS MOHAN GARDEN UTTAM NAGAR SOUTH WEST, DELHI - 110059, NEW DELHI, ALONG WITH UNDIVIDED IMPARTIBLE PROPORTIONATE RIGHTS BENEATH THE LAND WITH TWO WHEELER PARKING WITH COMMON PARKING AREA ALONG WITH RIGHT TO USE COMMON FACILITIES.</b>	<b>04.12.2025</b>	<b>Rs. 28,72,372.89/- (Rupees Twenty Eight Lakh Seventy Two Thousand Three Hundred Seventy Two and Paise Eighty Nine Only) as on 09.12.2025</b>
5.	<b>LOAN ACCOUNT NO. HHLJAG00523624 1. PRAMOD SHARMA 2. MANISHA SHARMA</b>	<b>ALL THAT PIECES OR PARCELS OF LAND / PROPERTIES AS UNDER TOGETHER WITH ALL THE PRESENT AND / OR FUTURE STRUCTURES, BUILDINGS, FURNITURE, FIXTURES, FITTING, STANDING AND / OR PLANT AND MACHINERY INSTALLED / TO BE INSTALLED AND / OR CONSTRUCTED / TO BE CONSTRUCTED THEREON AND ALL THE PRESENT AND / OR FUTURE RIGHTS, TITLE AND / OR INTERESTS OF MANISHA SHARMA THEREIN; RESIDENTIAL BHAWAN NO. 31/157/H/D, CONSTRUCTED ON PART OF PLOT NO. 01, HAVING AREA OF 100 SQUARE YARDS, EQUIVALENT TO AREA 83.61 SQUARE METERS MEASURING EAST TO WEST 31 FEET, FROM THEM, SOUTH 29 FEET BUILDING AND LAND BEARING MIN KHASRA NO. 851, WARD / PARGANA TAJGANJ WARD AGRA, MOHALLA / VILLAGE WAKA MOUZA RAJPUR, TEHSIL AND DISTRICT AGRA, EK KITA, HAVING 12 FEET WIDE ROAD.</b>	<b>04.12.2025</b>	<b>Rs. 23,20,301.84/- (Rupees Twenty Three Lakh Twenty Thousand Three Hundred One and Paise Eighty Four Only) as on 09.12.2025</b>

That the above named borrower(s) have failed to maintain the financial discipline towards their loan account (s) and as per books of accounts maintained in the ordinary course of business by the Company, Column D indicates the outstanding amount.  
Due to persistent default in repayment of the Loan amount on the part of the Borrower(s) the above said loan account has been classified by the Company as Non Performing Asset (as on date in Column C) within the guidelines relating to assets classification issued by Regulating Authority. Consequently, notices under Sec. 13(2) of the Act were also issued to each of the borrower.  
In view of the above, the Company hereby calls upon the above named Borrower(s) to discharge in full his / their liabilities towards the Company by making the payment of the entire outstanding dues indicated in Column D above including up to date interest, costs, and charges within 60 days from the date of publication of this notice, failing which, the Company shall be entitled to take possession of the Mortgaged Property mentioned in Column B above and shall also take such other actions as is available to the Company in law.  
Please note that in terms of provisions of sub - Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, "A borrower can tender the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Secured Creditor only till the date of publication of the notice for sale of the secured asset(s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Further it may also be noted that in case Borrower fails to redeem the secured asset within aforesaid legally prescribed time frame, Borrower may not be entitled to redeem the property."  
In terms of provision of sub-Section (13) of Section 13 of the SARFAESI Act, you are hereby prohibited from transferring, either by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of his business) any of the secured assets referred to in the notice, without prior written consent of secured creditor.

For SAMMAAN CAPITAL LIMITED  
(Formerly known as Indiabulls Housing Finance Ltd.)  
Authorized Officer

Place : AGRA / NEW DELHI

Notice under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The Act)

Sr. No.	Name of Borrower(s) (A)	Particulars of Mortgaged property / properties (B)	Date Of NPA (C)	Outstanding amount (Rs.) (D)
1.	<b>LOAN ACCOUNT NO. HHLBSR00537193 1. MITHLESH (CO - BORROWER, WIFE AS WELL AS LEGAL HEIR OF LATE VIKAS KUMAR)</b>	<b>ALL THAT PIECES OR PARCELS OF LAND / PROPERTIES AS UNDER TOGETHER WITH ALL THE PRESENT AND / OR FUTURE STRUCTURES, BUILDINGS, FURNITURE, FIXTURES, FITTINGS, STANDING AND / OR PLANT AND MACHINERY INSTALLED / TO BE INSTALLED AND / OR CONSTRUCTED / TO BE CONSTRUCTED THEREON AND ALL THE PRESENT AND / OR FUTURE RIGHTS, TITLE AND / OR INTERESTS OF MITHLESH THEREIN: RESIDENTIAL HOUSE TWO STOREY, WHOSE MUNICIPALITY NO. 748/576, TOTAL COVERED AREA 139.1 SQ. MTRS., SHASTRINAGAR (MOHANKUTI) KASBA BARAN PARGANA BARAN, TEHSIL AND DISTRICT BULANDSHAHR - 203001, UTTAR PRADESH.</b>	<b>10.03.2025</b>	<b>Rs. 21,90,956.55/- (Rupees Twenty One Lakh Ninety Thousand Nine Hundred Fifty Six and Paise Fifty Five Only) as on 26.12.2025</b>
2.	<b>LOAN ACCOUNT NO. HLPAMT00276728 1. RAJENDRA KOHLI PROPRIETOR KHOHLI CONSTRUCTIONS 2. KUSUM KOHLI</b>	<b>ALL THAT PART AND PARCELS OF PLOT NO. S - 261, (MEASURING EAST TO WEST 9 MTRS. X NORTH TO SOUTH 19 MTRS.) AND HAVING TOTAL AREA OF 162 SQUARE METRES, SITUATED KAILASH NAGAR AWASIYA YOJNA, VRINDAVAN, TEHSIL AND DISTRICT - MATHURA - 281001, UTTAR PRADESH.</b>	<b>04.12.2025</b>	<b>Rs. 39,57,132.55/- (Rupees Thirty Nine Lakh Fifty Seven Thousand One Hundred Thirty Two and Paise Fifty Five Only) as on 05.12.2025</b>
3.	<b>LOAN ACCOUNT NO. HHLNOD00398498 1. RAJ KUMAR 2. VANDANA</b>	<b>ALL THAT PIECES AND PARCELS OF RESIDENTIAL FLAT NO. SF - 2, (MIG), HAVING COVERED AREA OF 550 SQ. FT., EQUIVALENT TO 51.09 SQ. MTRS., ON THE SECOND FLOOR WITH ROOF / TERRACE RIGHT, RIGHT HAND FRONT SIDE, SITUATED AT RESIDENTIAL PLOT NO. B - 2/26, D. L. F. ANKUR VIHAR HADBAST VILLAGE SADULLABAD, PARGANA &amp; TEHSIL LONI, DISTRICT, GHAZIABAD - 201001, UTTAR PRADESH.</b>	<b>04.12.2025</b>	<b>Rs. 20,61,098.31/- (Rupees Twenty Lakh Sixty One Thousand Ninety Eight and Paise Thirty One Only) as on 08.12.2025</b>
4.	<b>LOAN ACCOUNT NO. HHLASL00371030 1. PURSHOTTAM ALIAS PURUSHOTTAM SAINI PARTNER C/O MAHAKALESHHWAR CONSTRUCTION 2. KUSUM DEVI ALIAS KUSUM SAINI 3. GAJE SINGH</b>	<b>ALL THAT PIECES OR PARCELS OF RESIDENTIAL HOUSE, MEASURING 265 SQ. YARDS EQUIVALENT TO 221.57 SQ. MTRS., HAVING TOTAL COVERED / PRINTED AREA OF THE PROPERTY 285 SQUARE YARDS I. E. 238.29 SQUARE METERS, BEARING KHASRA NO. 253 M, WARD / PARGANA SAHARANPUR, MOHALLA / VILLAGE - WAKE DARA KHANALAMPURA ABADI BHARAMPURI COLONY PARGANA, TEHSIL AND DISTRICT SAHRANPUR - 247001, UTTAR PRADESH.</b>	<b>04.12.2025</b>	<b>Rs. 24,03,685.33/- (Rupees Twenty Four Lakh Three Thousand Six Hundred Eighty Five and Paise Thirty Three Only) as on 09.12.2025</b>
5.	<b>LOAN ACCOUNT NO. HHLBRL00530952 / HHLBRL00530954 / HHEBRL00531394 1. MANGALSEN PROPRIETOR PALLAVI MOURYA KRISHI VIKAS KENDRA 2. CHANCHAL RANI</b>	<b>ALL THAT PIECE AND PARCELS OF RESIDENTIAL PLOT BEARING PVT. NO. 11, HAVING TOTAL AREA OF 109.53 SQUARE METRES, PART OF GATA NO. 285 MIN, SITUATED AT MOHALLA DOHRA (N. L. CITY) TEHSIL AND DISTRICT BAREILLY - 243001, UTTAR PRADESH.</b>	<b>04.12.2025</b>	<b>Rs.21,40,025.26/- (Rupees Twenty One Lakh Forty Thousand Twenty Five and Paise Twenty Six Only) (against Loan Facility No. 1), Rs. 20,66,844.81/- (Rupees Twenty Lakh Sixty Six Thousand Eight Hundred Forty Four and Paise Eighty One Only) (against Loan Facility No. 2) and Rs. 1,85,683.54/- (Rupees One Lakh Eighty Five Thousand Six Hundred Eighty Three and Paise Fifty Four Only) (against Loan Facility No. 3) having total outstanding amount of Rs. 43,92,553.61/- (Rupees Forty Three Lakh Ninety Two Thousand Five Hundred Fifty Three and Paise Sixty One Only) (against Loan Facilities No. 1, 2 and 3) as on 19.12.2025</b>

That the above named borrower(s) have failed to maintain the financial discipline towards their loan account (s) and as per books of accounts maintained in the ordinary course of business by the Company, Column D indicates the outstanding amount.  
Due to persistent default in repayment of the Loan amount on the part of the Borrower(s) the above said loan account has been classified by the Company as Non Performing Asset (as on date in Column C) within the guidelines relating to assets classification issued by Regulating Authority. Consequently, notices under Sec. 13(2) of the Act were also issued to each of the borrower.  
In view of the above, the Company hereby calls upon the above named Borrower(s) to discharge in full his / their liabilities towards the Company by making the payment of the entire outstanding dues indicated in Column D above including up to date interest, costs, and charges within 60 days from the date of publication of this notice, failing which, the Company shall be entitled to take possession of the Mortgaged Property mentioned in Column B above and shall also take such other actions as is available to the Company in law.  
Please note that in terms of provisions of sub - Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, "A borrower can tender the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Secured Creditor only till the date of publication of the notice for sale of the secured asset(s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Further it may also be noted that in case Borrower fails to redeem the secured asset within aforesaid legally prescribed time frame, Borrower may not be entitled to redeem the property."  
In terms of provision of sub-Section (13) of Section 13 of the SARFAESI Act, you are hereby prohibited from transferring, either by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of his business) any of the secured assets referred to in the notice, without prior written consent of secured creditor.

For SAMMAAN CAPITAL LIMITED  
(Formerly known as Indiabulls Housing Finance Ltd.)  
Authorized Officer

Place : BULANDSHAHR / MATHURA / GHAZIABAD / SAHARANPUR / BAREILLY

**Centre for Aromatic plants (CAP)**  
Industrial Estate,  
Selaqui - 248011, Dehradun (Uttarakhand)  
Telefax -0135-2698305, E-mail: cap.dun@gmail.com/Website www.capuk.in

**e-Tender Notice No 15/CAP/2025-26**  
Global e-Tenders are invited from the Original Equipment Manufacturer (OEM) or their authorized representative in India for Supply, Installation and Commissioning of Accelerator Mass Spectrometry (AMS) Facility. The terms and Conditions of tender document along with other information can be downloaded from e-tendering website of Uttarakhand Government www.uktenders.gov.in from 17.01.2026. The cost of tender is Rs. 11,800/- (Eleven thousand eight hundred only) including GST. The tender can only be applied through e-tendering procedure on the website www.uktenders.gov.in.  
Director

POSSESSION NOTICE  
(for immovable property)

**Whereas,**  
The undersigned being the Authorized Officer of **SAMMAAN CAPITAL LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029)** (formerly known as **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED**) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated **02.09.2024** calling upon the Borrower(s) **VARUN SHARMA and PINKI SHARMA** to repay the amount mentioned in the Notice being of **Rs. 24,40,730.21 (Rupees Twenty Four Lakhs Forty Thousand Seven Hundred Thirty And Paise Twenty One Only)** against Loan Account No. **HHLNOD00448525** as on **02.09.2024** and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.  
The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken **Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on **13.01.2026**.  
The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **SAMMAAN CAPITAL LIMITED** (formerly known as **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED**) for an amount of **Rs. 24,40,730.21 (Rupees Twenty Four Lakhs Forty Thousand Seven Hundred Thirty And Paise Twenty One Only)** as on **02.09.2024** and interest thereon.  
The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY  
FLAT NO. SF-3, M.I.G., HAVING TOTAL COVERED AREA OF 45 SQ. MTRS., SECOND FLOOR, WITHOUT ROOF RIGHTS, BACK SIDE, (LHS) PLOT NO. 3/928, SECTOR 3, VASUNDHARA, GHAZIABAD-201012, UTTAR PRADESH.  
BOUDED BY:  
EAST : COMMON PASSAGE AND FLAT NO. S.F. 4  
WEST : OTHERS PROPERTY  
NORTH : PLOT NO. S.F. 2  
SOUTH : PLOT NO. 3/929  
Sd/-  
Authorized Officer  
Date : 13.01.2026  
Place : GHAZIABAD  
SAMMAAN CAPITAL LIMITED  
(FORMERLY KNOWN AS INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED)

Before the Hon'ble National Company Law Tribunal, at New Delhi Company Application No. CA (CAA)-80/ND/2025  
FORM NO. CAA. 2  
[Pursuant to Section 230 (3) & Rule 6 and 7]  
In the matter of Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016  
In the matter of Scheme of Arrangement Between  
**Mawana Foods Private Limited (CIN U74899DL2006PTC144412)**  
(Transferor Company/ Applicant Company -I)  
And  
**Mawana Sugars Limited (CIN L74100DL1961PLC003413)**  
(Transferee Company/ Applicant Company -II)  
And  
Their respective shareholders and creditors  
[For the sake of brevity, Applicant Company-I and Applicant Company-II are hereinafter collectively referred to as "Applicant Companies"]  
**Advertisement of notice of the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench convened meetings of Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Mawana Sugars Limited ("Company")**  
Notice is hereby given that by an order dated 18<sup>th</sup> December, 2025 ("Order") in Company Application No. CA (CAA)-80/ND/2025, the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench ("Tribunal"/ "NCLT"), has directed to convene respective meetings of unsecured creditors and equity shareholders of the Company for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification(s), the proposed scheme of amalgamation amongst the Applicant Companies and their respective shareholders and creditors ("Scheme"), under the provisions of sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the rules made thereunder.  
In pursuance of the aforesaid Orders and as directed therein, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and circulars issued thereunder, as amended from time to time and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that respective meetings of the unsecured creditors and equity shareholders of the Company will be held as per the below mentioned schedule and the eligible participants are requested to attend and vote in the meeting at the scheduled time:  

S. No.	Class of meeting	Day & date of Time of meeting	Mode of Meeting	Mode of Voting
1.	Unsecured Creditors	Saturday, 21 <sup>st</sup> February, 2026 (IST)	12:00 Noon Visual Means ("VC"/ "OAVM")	Remote e-Voting and e-Voting at the Meeting
2.	Equity shareholder	Saturday, 21 <sup>st</sup> February, 2026 (IST)	02:30 PM Visual Means ("VC"/ "OAVM")	Remote e-Voting and e-Voting at the Meeting

  
Details of Remote E-voting are as follows:  

Commencing on	Wednesday, 18th February, 2026 at 09:00 A.M. (IST)
Ending on	Friday, 20th February, 2026 at 05:00 P.M. (IST)

The Hon'ble Tribunal vide its Order has appointed Adv. Aditya Dewan, as the Chairperson and Adv. Sameer Ali, as the Scrutinizer, for the respective meetings of the equity shareholders and unsecured creditors of the Company-II. The Scheme, if approved in the aforesaid meetings, will be subject to the subsequent approval of Hon'ble Tribunal.  
Notices together with explanatory statement thereto and other requisite annexures thereto, of the aforesaid meetings have been sent to the equity shareholders whose name appears in the register of members/ list of beneficial owners maintained by the depositories/ Registrar & Transfer Agent ("RTA") as on 8th January, 2026 and to the unsecured creditors whose name appears in the list of unsecured creditors certified by the chartered accounts as submitted before the Hon'ble Tribunal as on 30th June, 2025, of the Company via Email on 16.01.2026 and a physical letter regarding holding of the aforesaid meetings containing weblink and the QR code through which the complete notice can be accessed, has been sent through Courier to those shareholders and unsecured creditors whose email id was not registered with the Company/ RTA/ Depository, as the case may be.  
Further, equity shareholders, whose names are recorded in the register of members/ list of beneficial owners maintained by the depositories/ RTA as on the cut-off date i.e., 14th February, 2026, shall only be entitled to attend and vote prior to or at the aforesaid meeting of the equity shareholders. A person who is not an equity shareholder as on the cut-off date should treat the notice for information purposes only.  
Further, unsecured creditors, whose names are recorded in the records of the Company and chartered accountant certified list as on the cut-off date i.e., 30th June, 2025, shall only be entitled to attend and vote prior to or at the aforesaid meeting of the unsecured creditors. A person who is not an unsecured creditor as on the cut-off date should treat the notice for information purposes only.  
Since the meetings are being held through VC/ OAVM, option of attending the meeting through proxy is not applicable. However, it is clarified that corporate bodies/ institutions will be eligible to cast their votes through their authorized representatives provided a copy of resolution of the board of directors or other governing body of such body corporate equity shareholder/ unsecured creditor, indicating the power of attorney or letter of authority, duly authorizing such authorized representative along with an attested copy of his/her identity i.e., Aadhar Card/ Passport etc., is deposited at the registered office of the Company or be sent over e-mail at the email id of the Company at corporate@mawanasugars.com with a copy to the scrutinizer at Sameer.ali406@gmail.com not later than 48 hours before the scheduled time of commencement of the meetings.  
Copy of the notices convening the aforesaid meetings along with explanatory statement under sections 230 to 232 read with section 102 of the Act and any other applicable provisions, if any, of the Act thereto read with rule 6 of the CAA Rules, and other requisite annexures, can also be obtained free of charge on all working days (except Saturdays, Sundays and public holidays) between 11:00 A.M. (IST) to 05:00 P.M. (IST) from the registered office of the Company at 5th Floor, Kirti Mahal, 19 Rajendra Place, Central Delhi, New Delhi - 110125. Further the notices of the aforementioned meetings of the Company are also available on the website of the Company at www.mawanasugars.com, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and NSDL at https://www.evoting.nsdl.com.  
In case of any queries pertaining to remote e-voting/ e-voting and attending the meeting through VC/ OAVM, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for e-voting user manual available in the download section of: https://www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Ltd., at the designated email IDs evoting@nsdl.com or at telephone nos. 022-48867000.

Sd/-  
Adv. Aditya Dewan  
Chairperson appointed vide NCLT Order for the Meeting of unsecured Creditors and Equity Shareholders of Mawana Sugars Limited

## बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | शनिवार, 17 जनवरी 2026

सार्वजनिक सूचना	सार्वजनिक सूचना
<p>श्रीमती सारा पन्त की संस्था सवित्री की ओर से आम जनता को सूचित किया जाता है कि गंगा क्षेत्रमाथवापुनर्वासित जमीनी वर्धमान में कायान्ता ग्राम सचिवालय की ओर प्रवेश में स्थित संचालन स्थल 165/ 9 (पुराना संख्या 22), क्षेत्रफल 144.50 वर्ग मीटर का प्लॉट संख्या 543/ 2, से संलग्नित, श्री दुलीप राय केशव कुमार के पक्ष में बिक्री विलेख निर्वाण 28.06.1997, दस्तावेज संख्या को-0174, जो गन्हा 8/ गुम हो गई है।</p> <p>जनता को दस्तावेजों के सामने लेना नहीं करने की चेतावनी दी जा रही है। उपरोक्त दस्तावेजों को नियंत्रित वाला कोई भी व्यक्ति आम जनता को जमानेवाली या जमानेवाली पर प्रवेश करने, या देख बिक्रीवाली या जमानेवाली पर प्रवेश करने। यदि किसी को ये दस्तावेज बिक्री कर किसी भी एकता के लिए मांगे किसी भी तरह से उपचारवादी नहीं होगा। यदि किसी को ये दस्तावेज मिले या इन दस्तावेजों का कोई दुरुपयोग करने देखें, तो संबंधित व्यक्ति को नोटिफाई किए गए पते पर सूचित करें।</p> <p>ज्यूसिफ नैरेन्द्र प्रसाद एमएससी-56, एलजीओए, ग्रेटर कोलार्थ एलेक्सन पार्क-1, दिल्ली - 68 • 011-4266262177, 78,79</p>	<p>आम जनता को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एएसओआर) ने गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में प्रभाव -24 पर स्थित वन सिटी के गुप्त हाउसिंग प्रोजेक्ट पर प्रभाव -24 सेक्टर -8 के वन्य जीवों पर आकलन परीक्षण।</p> <p>परीक्षण। वन पर्यावरणीय स्थितिकी पर्यावरण निर्देशालय संलग्नक 3, प. द्वारा मंजूर किया गया।</p> <p>प्रसाद सिंह, के. पेशा प्रचारक ईमेल:2581383@rediffmail.com 9542492924 और फ़ोनल संख्या 10169 - 9744</p> <p>दिनांक 10/01/2026 द्वारा प्रकाशित की गई है।</p> <p>जन सूचना के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश मांज्य प्रभाव प्रकृति प्रभाव पर्यावरण प्रभाव और निरक्षण मांज्य (एएसओआर) एस सीटी की वेबसाइट <a href="http://Parivesh.nic.in/">http://Parivesh.nic.in/</a> पर उपलब्ध है।</p> <p>स्थान : गाजियाबाद</p>

PUBLIC NOTICE	NOTICE
<p>It is for general information that I, Bimaljeet Kaur, D/o Jeet Singh, R/o K-56, Ground Floor, Opposite MCD Hospital, Lalpat Nagar-2, Aram Colony, South Delhi, Delhi-110024 declare that I have adopted Sanna alasia Sahiba Kaur from Gharonda Bal Grih Shishu/Specialised Adoption Agency, Bharatpuria Shiksha Samiti, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201013 vide Court of Additional District Magistrate (E, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201001) Letter No. 52/Reader/2025/ADM(E)/Child Adoption/Order/Date 29/04/2025. Further I have changed the name of my minor adopted daughter named Sanna alasia Sahiba Kaur aged 8 years and she shall hereafter be known as 'Sahiba Kaur'. It is certified that I have complied with all other legal requirement in this connection.</p>	<p>Notice is hereby given that share certificate for 354 shares of Rs. 2/- each, certificate No. 296172-296173, bearing distinctive No. from 325698634-325698810,288470067-288470256, under folio No. 020076726 standing in the name of International Portfolios Ltd., of HCL Technologies Limited have been lost or misplaced and undersigned has applied to the Company to issue duplicate share certificate for the said shares. Any person(s) who have claim in respect of the aforesaid shares should lodge their claim for the same with the Company at its registered office: at 306, Siddhar, 96 Nehru Place, New Delhi within 15 days from the date of this notice, else the Company will proceed to issue a duplicate share certificate.</p> <p>Date : 15<sup>th</sup> January 2026 <span style="float: right;">SD _____</span>  Place: New Delhi <span style="float: right;">Name of the Holder _____</span>  <span style="float: right;">Brisk Capital Market Services Ltd.</span>  <span style="float: right;">(Formerly International Portfolios Ltd.)</span></p>

**पैसेलीबी बैंक लि.**  
ए-सेक्टर हावरा, 7/56, जी.डी. गुप्ता रोड,  
करोल बाग, नई दिल्ली-110005



## चल सामगियों की विक्री के लिए विक्री सूचना

एतद्वारा जनासाधारण तथा विशेष रूप से की गई चल गुप्तता की सूचना दी जाती है कि मकान सं. 58, ब्लॉक सं. 7, साऊथ पट्टेदार नगर, नई दिल्ली-110008 के सम्पूर्ण भूखल के सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्से वाले प्लेट पर निर्मित रखी गई सम्पत्ति में पड़ी हुई चल सामगियों, जिनमें प्रतीक जूडिशियल मजिस्ट्रेट, वेस्ट डेस्ट डिपार्टमेंट, तीस हजारों कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश धारा 14 के निषाधन के समय प्रचलित अथवा प्राप्त धारा क्रमांक बना गया था।

कृपया ध्यान दें कि आप ऊपर नाफित कर्जदारगण विनांक 25-अक्टूबर-2025 की सूचना के साथ ही साथ बिना विनियम स्टैंडर्ड नामक समाधार पत्रों (अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों) में विनांक 30-अक्टूबर-2025 को क्रमशः प्रकाशन के माध्यम से उन्हें दिए गए अवसर के बावजूद सम्पत्ति में पड़ी हुई सामगियों (हस्तों में अप्रकलित हो चुके हैं)।

यूटिक उपरोक्त कोर्टों के निर्णयों द्वारा नाभिर्गत सम्पत्ति के भीतर सामगियों को हटाने में विफल होने के कारण, यहां नया लिला गया है कि पड़ी हुई सामगियों पर उनका कोई दावा नहीं है तथा बैंक उसकी सुरक्षा, गुणवत्ता और अथवा क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आप की कार्यवाही, जिसमें ऐसी सामगियों को हटाना और उनका उचित निपटारा शामिल है, आपको बिना किसी और सूचना के आपके खर्च पर की जा सकती है।

इस सूचना के माध्यम से बैंक इसके बेचने के लिए दायर प्रारम्भिक कर रहा है ताकि इसे सुरक्षित रखने में हमारे द्वारा किए गए व्यय एवं लागत की वसूली की जा सके। यह 18-फरवरी-2026 तक कोर्टों द्वारा कोर्टाधिकार नौमाणी होगी और दरमज 17-फरवरी-2026 तक मुरदाब लिफाक में स्वीकार किए जाएंगे। सामा 6 घंटे के उपरांत कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।

चल पंथित के निरीक्षण की तारीख और समय 19-जनवरी-2026 से 17-फरवरी-2026 तक शाम 5 घंटे तक होगा।

किसी भी प्रश्न के लिए आप निम्नज माधुर सं 9818979116 पर और जी विपिन मौर्य सं 8588934268 पर संपर्क कर सकते हैं।

हस्ता/-  
अधिकृत अधिकारी,  
डीसीबी बैंक लिमिटेड

**तारीख: 17-01-2026**  
**स्थान: नई दिल्ली**

माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के समक्ष  
कंपनी आवेदन संख्या सीए (सीएर)-80/एनडी/2025  
फॉर्म नंबर सीएर. 2  
(धारा 230 (3) एम निगम 6 और 7 के अनुसार)  
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और दूसरे लागू प्राधान्यों के मामले में,  
जिन्हें कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और विलय) नियमावली, 2016 के सहपठित

मवाना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: यू74899डीएल2006पीटीसी144412)  
(हस्तांतरणकर्ता कंपनी/आवेदक कंपनी-I)

मवाना शुगर्स लिमिटेड (सीआईएन: एल74100डीएल1961पीएलसी003413)  
(हस्तांतरिती कंपनी/आवेदक कंपनी-II)

उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों  
[संक्षेप में, आवेदक कंपनी-I और आवेदक कंपनी-II को एतद्वारा सामूहिक रूप से  
“आवेदक कंपनी” के रूप में संदर्भित किया जाएगा],

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के नोटिस का विज्ञापन  
कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली पीठ ने मवाना शुगर्स लिमिटेड ("कंपनी")  
के इन्विट्री शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक आमंत्रित की है।

एरद्विदारी हरे सुचित कथना जाता है कि कपनी आवदेन सख्या ३०३ (एसी)-८०/यजडी/२०२५ में, १६ डिसेंबर, २०२५ ("आदेश") के एक आदेश द्वारा, मनीषाजी नेमसल कपनी लो डिप्युनल, हरे दिल्ली पीठ ("डिप्युनल"/"पैरिसिलडी") ने कपनी के संबन्धित लेनदारी और इक्विटी शेयरधारकों की अपनी-अपनी बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। इसका आवेदन कम्पनीज अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") की धारा २३० से २३२ के नियमों के तहत, आवेदन कम्पनीज और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारी ("योजना") के बीच प्रस्तावित विलय योजना पर विचार करना और अपर उचित समझा जा, तो उसे बिना किसी बदलाव के स्वीकृति देना है। उपर्युक्त आदेशों के अनुसारण में और उसमें एरद्वि हरे गे निर्देशों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, २०१३ के लागू प्राक्काओं और उसके तहत जारी परिपत्रों, सम्य-सम्य पर संग्रहित और सी (सुव्यवधान) दायित्व और प्रवृत्तीकरण आवश्यकताएँ। विलय, २०१५ के अनुपाल में, इसके द्वारा हरे नोटिफिस दिया जाता है कि कपनी के अनुसार लेनदारी और इक्विटी शेयरधारकों की संबंधित बैठकों नीचे उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाणगी और प्राप्त प्रतियोगियों से अनुरोध किया जाता है कि वे निर्धारित समय पर बैठकों में पर्यवर्तित हरे मतदान करें।

क्र.सं.	बैठक का वर्ग	बैठक का दिन और तिथि	बैठक का समय	बैठक का तरीका	प्रदान का तरीका
1.	अनुपस्थित लेनदार	हस्ताना 21 फरवरी, 2026	दोपहर 12:00 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑनलाइन रिजिस्टर्ड माध्यम <b>(बीसी / ऑपेरीयर)</b>	बैठक में रिमोट ई-वोटिंग और ई-बोटींग
2.	ई-वोटिंग 2 गैर-व्यक्तिक	हस्ताना 21 फरवरी, 2026	दोपहर 02:30 बजे	बीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑनलाइन रिजिस्टर्ड माध्यम <b>(बीसी / ऑपेरीयर)</b>	बैठक में रिमोट ई-वोटिंग और ई-बोटींग

रिमोट ई-वोटिंग के विवरण निम्नानुसार हैं:

प्रारंभिक तिथि	बुधवार, 18 फरवरी, 2026 प्रातः 09:00 बजे (भारतीय समयानुसार)
समापन तिथि	शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026 सांयः 05:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

माननीय ट्रिब्यूनल ने अने आदेशों के माध्यम से अधिवक्ता आदित्य दावाना का समन्वयक और एडवोकेट समीर अली को संवीक्षक के रूप में कंपनी-॥ के इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों की संबंधित बैठकों के लिए नियुक्त किया है। अगर यह योजना उपरोक्त निर्दिष्ट बैठकों में स्वीकार कर ली जाती है, तब यह माननीय ट्रिब्यूनल की बाद में स्वीकृति के अधीन होगी।

उपराजत वांगत दाहक को नाटोस, दस साष्टर स्पर्धकार बयान और अन्य आवश्यक अनुलनक, दस इक्वितरी शिथरकारों को मेज दिअ गए हैं जिनके नाम 9 जनवरी, 2026 तक डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (‘आरटीए’) द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों की सूची में उपलब्ध हैं और उन अनुसंशुचित लेनदारों को जिनके नाम 30 जुन, 2025 तक माननीय ट्रिब्यूनल के समक्ष जमा की गई वार्टर्ड अकाउंटर्ड द्वारा प्रमाणित अनुसंशुचित लेनदारों की सूची में दर्ज हैं, कंपनी द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2026 की ईमेल के माध्यम से मेज दी गई हैं।

इसके अतिरिक्त, ऊपर बताई गई बैठकों के आयोजन के संबंध में एक भौतिक पत्र जिसमें वेबलिक और व्यू आर कोड शामिल है जिसके माध्यम से पूरे नोटिस को देखा जा सकता है, उन शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों को कूरियर के माध्यम से भेज दिया गया है जिनके ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए / डर्पजिटरी के साथ रजिस्टर्ड नहीं था, जैसा भी मामला हो।

इसके अतिरिक्त, इक्विटी शेयरधारक, जिनके नाम कट-ऑफ तारीख यानी 14 फरवरी, 2026 तक डिपॉजिटरी/आरटीए द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर/लामार्थी मालिकों की सूची में दर्ज हैं, वे भी इक्विटी शेयरधारकों की ऊपर बताई गई श्रेणी में शामिल होने और वोट देने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तारीख को इक्विटी शेयरधारक नहीं है, उसे नोटिस को केवल जानकारी के उद्देश्य से समझना चाहिए।

इसके आलावत, असुरक्षित लेनदार, जनक नाम कंपनी का रिकार्ड और घाटंड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित सूची में कट-ऑफ तारीख यानी 30 जून, 2025 तक दर्ज हैं, वे ही असुरक्षित लेनदारों का उम्र बढ़ाई गई बैलक में शामिल होने और वोट देने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तारीख को असुरक्षित लेनदार नहीं है, उसे नोटिस को देनल जानकारी के उद्देश्य से समझना चाहिए।

बूँक में बैठकर डॉ. ओपीवीकर के माध्यम से आंग्रेजों की जा रही है, इसलिए एजेंटों के माध्यम से बैठक में शामिल होने का विवेक लागू नहीं होता। हालांकि, यह स्पष्ट विजय जाँही है कि कॉर्पोरेट निगम/संस्था अपने अभिमुख प्रविष्टिओं के माध्यम से जोड़ते डालते के पात्र होते, बरतते निदेशक मंडल या ऐसे कॉर्पोरेट निगम प्रिविटी शेरशायर/असुलुख लेनार के अन्य माध्यम बॉडी के प्रस्ताव की प्रतीति, जिसमें पात्रों को अंतर्द्वीपीय या अस्थायी लेटर शामिल है। जो ऐसे अभिमुख प्रविष्टिओं को विविधित अवसर प्रकट करता है, साथ ही प्रतीति पधान की एक संव्यवस्था प्रतीत यानी आधार/पासवार्ड, पासवार्ड अद्वि, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा की जाए या मीटिंग शुरू होने के निष्पत्ति सम्य से 48 घंटे पदाने [corporate@manwanasgurus.com](mailto:corporate@manwanasgurus.com) पर कंपनी की ईमेल आईडी पर ईमेल द्वारा भेजी जाए, जिसकी एक कॉपी प्रतीति। संवीक्षाक को [samgeral406@gmail.com](mailto:samgeral406@gmail.com) पर एसेसमेंट अतिरिक्त होती।

उपरोक्त मीटिंग आमंत्रित करने के नोटिस की कॉपी, अधिनियम की धारा 102 के सहपठित धारा 230 से 232 के तहत स्पष्टीकरण विवरण और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, जिसे सीएए निमावली के नियम 6 के सहपठित है, और अन्य आवश्यक अनुलम्बक, सभी कार्य दिवसों (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर) पर घातः 11:00 बजे (भारतीय

समयानुसार से सांघ: 05:00 बजे (भारतीय समयानुसार) के बीच कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस 5वीं मंजिल, कीर्ति महल, 19 राउड्र प्लेस, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली - 110125 से नि:शुल्क पत्रिका किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी की उपरोक्त मंजिल के नॉटिस कंपनी की वेबसाइट [www.mawanasugars.com](http://www.mawanasugars.com), बोर्सईड [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), नेपाल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और एनएसडीएल <http://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध हैं।

किरी भी प्रश्न के मामले में, आप [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध हैं—वोटिंग यूजर मैनुअल के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, मैनेजर, नेशनल सिक्स्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड से निर्दिष्ट ईमेल आईडी [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) या टेलीफोन नंबर 022-48867000 पर संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक: 16 जनवरी, 2026

हस्ता/-  
अधिवक्ता आदित्य दीवान,  
सभापति, जिन्हें एनसीएलटी के आदेश द्वारा मावाना शुगर्स लिमिटेड के  
असुरक्षित लेनदारों और इक्विटी शेयरधारकों की बैठक के लिए नियुक्त किया गया है।

**आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड**


**Housing Finance Ltd**

**सहारनपुर शाखा:** दुकान नंबर - 21, दूसरी मंजिल, सामने का भाग, एमपीएल नंबर का हिस्सा। 2/1377, पार्श्वनाथ प्लाजा, कोर्ट रोड, सहारनपुर - 247001 (उत्तर प्रदेश)

### आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

ज्योतिष, आचार्य हाउसिंग समिति लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरिटी इंस्ट्रुमेंट एक्ट 1956 के अंतर्गत अधिकांश अपराधों के प्राथमिकता प्राप्त होने के बाद, सिक्युरिटी इंस्ट्रुमेंट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंस्ट्रुमेंट (इंफॉर्मेशन) नियम 2002 का नियम 3 के साथ संपत्ति धारा 13 (2) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्त के साथ 60 दिवस में नीचे सूचीबद्ध में वर्णित राशि का पूर्णभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओं / प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (9) जारी की है। ऋणकर्ताओं का पूर्णभुगतान करने में असफल रहे हैं, सिक्युरिटी इंफॉर्मेशन नियम 2002 के नियम 8 के अंतर्गत संपत्ति उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ताओं (और) प्रतिभूतिकर्ताओं (और) सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप में सूचित किया गया है। वर्णित संपत्ति पर अधोसंस्थागतकरण में अधिभुगतान किया है। धर्धार संपत्ति के एजेंट में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपयुक्त समझ समझ पर कानून की धारा 13 का सब-सेक्शन (8) के अंतर्गत प्राधान्यता पर ऋणकर्ताओं ध्यान देते हैं। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार हो।

क्र.	ऋणकर्ता (ओं) / प्रतिस्पर्धित (ओं) (शाखा का नाम)	घरोहूर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	(लोन कोड नं.028000000797 / साहजानपुर शाखा) रमन गंगेजा (ऋणी), कमलेश देवी (सह-ऋणी) अंकुश बजाज (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, आवासीय प्लॉट, निजी प्लॉट नं. 67, 68 का पश्चिमी भाग, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, खसरा नं. 571, 573, 574, 578, दारा मिकनका बन्स दार आवादी, दवे पुरम कोलीनी, परगना तल्लील एवं जिला साहजानपुर, उत्तर प्रदेश <b>वर्तु-सीमाएँ:</b> पूर्व - प्लॉट नं. 67 एवं 68 का मध्य भाग, पश्चिम - प्लॉट नं.66, उत्तर - 20 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण - प्लॉट नं. 64	<b>06-10-2025</b> <b>&amp; 7, 8, 2025</b>	<b>13-01-2026</b>

स्थान : उत्तर प्रदेश

दिनांक : 17.01.2026

**HDFC BANK**  
**एचडीएफसी बैंक लिमिटेड**  
 शाखा का पता: प्रथम तल, पदम, टावर-2, 14/113, सिविल लाइन्स, कानपुर-208001, फोन : 0512-6680634  
 CIN : L69920MH1994PLC080618 वेबसाइट : [www.hdfcbank.com](http://www.hdfcbank.com)

## भाग सूचना

पुनर्गठन तथा प्रातिभूत हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नि

जकि, (माननीय पण्डितलजी उधवासिना दिनांक १७ मई, २०२३ अउर आदेश आनुमोदित समामेलन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एक्टकी सफाई करी करी लिमिटेड के साथ लिले हो गया है।) **(एचडीएफसी)** वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिनिधित्व एवं पुनर्वसन तथा प्रतिभूति लिए प्रबंधन अभियन्ता २००२ के अंतर्गत **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारों के रूप में तथा प्रतिभूति लिए (पूर्वनं) नियमावली, २००२ के नियम ३ के साथ अनुचित धारा १३(१) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरों ने उक्त अधिनियम धारा १३(१) के अंतर्गत मान्य सूचना जारी कर जहां से नीचे सूचीबद्ध ऋणी / उपकारकर्ता / कानूनन वासियों / कानूनन प्रतिनिधियों को नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार संबंधित सूचनाओं की तिथि से ६० दिनों के भीतर संबंधित मान्य सूचना / सूचनाओं में वर्णित साधकों को वापस लाौटाउन के लिये कहा जाे। अहोदस्ताक्षरों ने उक्त ऋणी / उपकारकर्ता / कानूनन वासियों / कानूनन प्रतिनिधियों के अतिरिक्त पाते के परिश्रमों से ६० दिन सूचनाओं को विषयकाया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियाँ अहोदस्ताक्षरों के पास उपब्धवा हैं, तथा उक्त ऋणी / उपकारकर्ता / कानूनन वासियों / कानूनन प्रतिनिधियों यदि वे ऐसा चाहें, उक्त प्रतियों को किसी भी कारी दिवस को सामान्या कार्यालय समय के दौरान अहोदस्ताक्षरों से प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के तल्लिसने ने एक बार पुनः एन्दर्द्धार ऋणी / उपकारकर्ता / कानूनन वासियों / कानूनन प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त ऋणी धारा निष्पादित लिखित में, यह कोई हो, किसी भी अन्य दरखास्तों के साथ प्रतिष्ठ आनुबंध के अंतर्गत फौज में नीचे बलिष्ठ शक्ति से भुगतान एवं /अथवा उसारी की तिथि तक मान्य सूचना में वर्णित लागू होने योग्य दर्दी पर आगे के ब्याज के साथ दादा नीचे दर्शायी गयी राशि का इस सूचना के प्रकाराश की तिथि से ६० दिनों के भीतर **एचडीएफसी** को भुगतान करते हैं। ऋणी की दले पुनर्मुतांतन के लिए प्रतिभूति के रूप में क्रमशः उक्त सूचना पर **एचडीएफसी** के पास निम्नलिखित प्रमुखी परिसम्पत्तियों को बन्य कर गया है।

१) ऋणी / उपकारकर्ता (ओ) / कानूनन वासियों (ओ) / कानूनन प्रतिनिधियों (ओ) का ध्यान सर्फेसी एक्ट की धारा १३ की उप-धारा(८) की ओर आकृष्ट करेया जाता है कि तय समय सीमा में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को रीडेम (मोचन) कर सकते हैं।

क्र.सं.	उम्मीदवारों/कानूनन वास्तविक/कानूनन प्रतिनिधियों का नाम	कुल वकीलों/धनराशि (₹00)*	मांग सूचना की तिथि	प्राप्ततः पारसम्पत्त/अवयव सम्पत्ति का विवरण
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)
श्री हृदय राम चौधरी मकान नं० आर्ट-447, बेटा-2, जिला गौतमबुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा	4,50,711/- दिनांक 30.11.2025 तक	07.01.2026	समस्त शेष एवं सम्पूर्ण मांग फोरवर्ड अटॉर्नामेंट-1, में युनिट 02/0588 मेगापालिस में, ग्रेटर नोएडा से सटा हुआ, एगैटबुद्ध नगर, क्षेत्रपाल- 66 एवं भी0	

भुगतान और /या वसूली की तिथि तक लागू दर से ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क सहित। यदि, उक्त ऋणदाता एचडीएफसी को उपरोक्त भुगतान करने में विफल होते हैं, तो इस अधिनियम की धारा 13(4) लागू होने योग नियमों के अंतर्गत एचडीएफसी लागतों एवं परिणामों के संदर्भ में उक्त ऋणी/उधारकर्ता/ कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों की सम्पूर्ण जोखिम पर ऊपर प्रतिभूत परिसम्पत्तियाँ/अचल परिसम्पत्तियां के प्रति आगे की कार्यवाही करेगी।

इस अधिनियम के अंतर्गत **एचडीएफसी** की पूर्व लिखित सहमति के बिना उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों वीक्री, बट्टा अथवा अन्य रूप में उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का अंतरण नहीं कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हैं अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने पर इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कैद एवं/अथवा दंड हो सकता है।

दिनांक: 17.01.2026

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के लिए

पंजाब कायलय : एचडाएफसा बंक हाउस, सनापात बपत माग, लावर पल (पश्चिम) मुंबई-400 020

क्र.सं.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरीय संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रु.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLBSR00537193 1. मिथलेश (सह-धारकता, स्वर्गीय विकास कुमार की पत्नी और कानूनी उत्तराधिकारी)	मीथे दी गई भूमि/संपत्तियों के सभी भाग या खंड, साथ में वर्तमान और/या भविष्य की सभी संरचनाएं, इमारतें, फर्नीचर, फिक्स्चर, फिटिंग, स्टैंडिंग और/या संवर्धन और मशीनरी जो स्थापित हैं/स्थापित की जानी हैं और/या निर्मित हैं/निर्मित की जानी हैं और जिसमें मिथलेश के सभी वर्तमान और/या भविष्य के अधिकार, स्वामित्व और/या हित शामिल हैं; आवासीय दो मंजिला मकान, जिसका नगर पालिका नंबर 748/576 है, कुल कवर्ड क्षेत्र 139.1 वर्ग मीटर है, शास्त्रीनगर (मोहनकुटी), कस्बा बारा परगना बारा, तहसील और जिला बुलंदशहर-203001 उत्तर प्रदेश।	10.03.2025	रु. 21,90,956.55/- (रुपए) इक्कीस लाख नब्बे हजार नौ सौ छपन और पचपन पैसे मात्र) 26.12.2025 के अनुसार
2.	कर्ज खाता क्र. HLAAPMA700276728 1. राजेंद्र कोहिल प्रोप्राइटर 2. कुशी कर्कटूशशस कोसुम कोहली	प्लॉट नंबर एए-2/61 के सभी भाग और खंड (पूर्व से पश्चिम 9 मीटर गुणा उत्तर से दक्षिण 18 मीटर) और कुल क्षेत्र 162 वर्ग मीटर है, कैलाश नगर आवासीय योजना में स्थित है, वृंदवन, तहसील और जिला-मथुरा-281001, उत्तर प्रदेश।	04.12.2025	रु. 39,57,132.55/- (रुपए) उन्नीस लाख सातान हजार एक सौ बत्तीस और पचपन पैसे मात्र) 05.12.2025 के अनुसार
3.	कर्ज खाता क्र. HHLNDO00398498 1. राज कुमार 2. वंदना	आवासीय प्लॉट नंबर एसएफ-2, (एमआईडी) के सभी भाग और खंड, जिसका क्षेत्र 550 वर्ग मीटर, 51.09 वर्ग मीटर के बराबर है, दूसरी मंजिल पर, छत्र/टेरेसे के अधिकार सहित, दाहिनी तरफ, सामने की ओर, आवासीय प्लॉट नंबर बी-2/26 पर स्थित है, डी.एल.एफ. अंशुर विहार हदबस्त गांव सादुल्लाबाद परगना और तहसील लोनी, जिला, गाजियाबाद-201001, उत्तर प्रदेश।	04.12.2025	रु. 20,61,098.31/- (रुपए बीस लाख इकस हजार अठानवे और इक्कीस पैसे मात्र) 08.12.2025 के अनुसार
4.	कर्ज खाता क्र. HHLASA00371030 1. पुष्पेश्वर उर्फ भूपतिदास सी/बी भूपतिदास सी/ओ महाकाशेवर कर्कटूशशस 2. कुसुम देवी उर्फ कुसुम सैनी 3. गजे सिंह	आवासीय घर के सभी भाग या खंड, जिसका क्षेत्र 265 वर्ग गज है, जो 221.57 वर्ग मीटर के बराबर है, संपत्ति का कुल कवर्ड/मुद्रित क्षेत्र 285 वर्ग गज, यानी 238.29 वर्ग मीटर है, खसर नंबर 253 एम, वाड्ड/परगना सहारनपुर, मोहल्ला/गांव - बाके दारा खानआलमपुरा आबादी ब्राह्मपुरी कोलोनरी परगना, तहसील और जिला सहारनपुर-247001, उत्तर प्रदेश।	04.12.2025	रु. 24,03,685.33/- (रुपए चौबीस लाख तीन हजार छह सौ पचासी और तैंतीस पैसे मात्र) 09.12.2025 के अनुसार
5.	कर्ज खाता क्र. HHLBLR00530952 / HHLBLR00530954 / HHEBR00531394 1. मंगलदेव प्रोप्राइटर पल्लवी मौर्य कृषि विकास केंद्र 2. घणेल रानी	आवासीय प्लॉट बेअरिंग प्राइवेट नंबर 11 के सभी भाग और खंड जिसका कुल क्षेत्र 109.53 वर्ग मीटर है, गाटा नंबर 285 मिन का भाग, मोहल्ला दोहरा (एन.एल. एलटी) में स्थित है, तहसील और जिला बरेली-243001, उत्तर प्रदेश।	04.12.2025	रु. 21,40,025.26/- (रुपए इक्कीस लाख चालीस हजार पच्चीस और छब्बीस पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 1 के विरुद्ध), रु. 20,66,844.81/- (रुपए बीस लाख छियासठ हजार आठ सौ चौबीस और इक्कासी पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 2 के विरुद्ध) और रु. 1,85,683.54/- (रुपए एक लाख पचासी हजार छह सौ तिरासी और चौवन पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 3 के विरुद्ध) कुल बकाया राशि रु. 43,92,553.61/- (रुपए तैंतीस लाख बानवे हजार पांच सौ तिरपन और इकसठ पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 1, 2 और 3 के विरुद्ध) 19.12.2025 के अनुसार

के ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम वजनस घटाने में रूखे जमाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

धार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा निष्क्रियता मापदंडों के भीतर निष्पादनेतर परिस्परितियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिवियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई हैं।

पर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आह्वान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के पदन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति लेने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ डी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिप्राप्ति करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

उपस्था ध्यान दें कि सरफेसी कानूनी की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, "कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित होते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्कोई केडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभाओं के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से अधिप्राप्ति समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्तिका मोचन करने में कर्जदार बिफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता।"

सरफेसी अधिवियमन की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

कृते सम्मान केपिटल लिमिटेड  
(पहले इंडियानुलस हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)  
प्राधिकृत अधिकारी

थान : बुलंदशहर/मथुरा/गाजियाबाद/सहारनपुर/बरेली

<div>  <div> NAMDEV FOUNDATION PRIVATE LIMITED </div> </div>		<div> <div>नामदेव फिगवेस्ट प्रा. लि. नामदेव हाउस, प्लॉट संख्या 21, नीर सागर-ए, भांकोरटा, जयपुर, राजस्थान</div> </div>
<div> संदर्भ संख्या: NFPL-151137/151229 </div>	<div> दिनांक: 01.01.2026 </div>	
<div> <div>सेवा में,</div> <div>श्रीमती अंजू पांडे पत्नी श्री ज्ञानेश कुमार पांडे</div> </div>		
<div> <div>पता:- वार्ड-10, मूलग चक, अली नगर, चंडौली, अलीनगर, उत्तर प्रदेश- 232101</div> <div>श्री ज्ञानेश कुमार पांडे पुत्र श्री विठ्ठली नाथ पांडे</div> </div>		
<div> <div>पता:- वार्ड-10, मूलग चक, अली नगर, चंडौली, अलीनगर, उत्तर प्रदेश- 232101</div> <div>श्री अनिल कुमार यादव पुत्र श्री विक्रम यादव</div> </div>		
<div> <div>पता:- नई बजार, महेंगला, साकंदवीहा बाजार, चंडौली, उत्तर प्रदेश- 232109</div> <div>विषय: विनिता आरित्या का प्रतिपुनर्निर्माण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का (प्रस्तुत) अधिनियम, 2002 (इसके बाद इसे कम्पनी 'प्रतिभूति लेनदार कहा गया') द्वारा आपको वित्तीय सहायता राशि रुपये श्रीमती अंजू पांडे का रु. 15,00,000/- ( रुपये पंद्रह लाख मात्र) एवं श्री ज्ञानेश कुमार पांडे 45,00,000/- ( रुपये पचास लाख मात्र) का अनुसूची में नीचे उल्लिखित संपत्ति पर ऋण सुविधा प्रदान की जाए।</div> </div>		
<div> <div>यादिक कम्पनी 'प्रतिभूति लेनदार' के निर्वाह में अगुआ उधारों के संदर्भित सभी ऋण खातों की ऋण राशियों के पुनर्भुगतान में अधिव्यवस्थाएं पाई गईं, आपके द्वारा की गई एक के परिणामस्वरूप प्रतिक्रिया करके 90 दिनों की अवधि से अधिक होने के कारण, आपको उधारों के संदर्भित ऋण खाता (खाते संख्या 151137/151229) को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार एनएफएल द्वारा अपनी वसूली में गैर-विधायित संपत्ति (एनएफए) ऋण खाता संख्या 151137 को 04 नवंबर 2025 तथा ऋण खाता संख्या 151229 को 05 जून/अप्रैल 2025 के रूप में वसूली किया गया था।</div> </div>		
<div> <div>1. आपके ऋण खाता संख्या 151137 के अंतर्गत कम्पनी के प्रति बकाया देयता रु. 15,01,707/- ( रुपये पंद्रह लाख एक हजार सात सौ सात मात्र) 30.12.2025 तक है, तथा वास्तविक वसूली की तिथि तब संवत्सरात्मक व्याज, सहगामी शुल्क, लाताना एवं अन्य शुल्क अतिरिक्त देय होगी।</div> <div>दिनांक 30.12.2025 तक ऋण खाता संख्या 151137 हेतु बकाया राशि का वार्षिक विभाजन निम्न प्रकार है:-</div> </div>		
<div> <div>मूलधन शेष</div> <div>बकाया किस्तों का व्याज</div> </div>	<div> <div>₹.13,49,067/-</div> <div>₹. 1,10,586/-</div> </div>	
<div> <div>विलंब भुगतान व्याज</div> </div>	<div> <div>₹.29,104/-</div> </div>	
<div> <div>चेक वार्डेंसिंग शुल्क</div> </div>	<div> <div>₹. 7,000/-</div> </div>	
<div> <div>अन्य शुल्क</div> </div>	<div> <div>₹. 59,501/-</div> </div>	
<div> <div>कुल देय राशि</div> </div>	<div> <div>₹. 15,01,707/-</div> </div>	
<div> <div>1. आपके ऋण खाता संख्या 151229 के अंतर्गत कम्पनी के प्रति बकाया देयता रु. 65,35,174/- ( रुपये पैंसठ लाख पैंतीस हजार एक सौ चौहत्तर मात्र) 30.12.2025 तक है। तथा वास्तविक वसूली की तिथि तब संवत्सरात्मक व्याज, सहगामी शुल्क, लाताना एवं अन्य शुल्क अतिरिक्त देय होगी।</div> <div>अपार आर्थिक वसूली तब भविष्य के संवत्सरात्मक व्याज के साथ-साथ आर्कविक व्याज, लगाना और शुल्क आदि के साथ उधारों राशि का भुगतान करने के लिए उन्नावदी है। विनिता आरित्या के प्रतिपुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण का प्रयास प्रतिपुनर्निर्माण, 2002 के प्रस्ताव के प्राधान्यों के तहत, एक सुरक्षित लेनदार के रूप में कम्पनी को सुरक्षित लेनदार के रूप में कम्पनी की बकाया राशि को वसूली के लिए अर्पित उधार करने और सभी कार्य करने और करने का अधिकार है। या उधारों ऋण/अतिप/क्रेडिट शुल्क/रसम/इसके बाद 'प्रतिभूति संपत्ति' के रूप में संदर्भित) के लिए कम्पनी के पास में वार्डों की गई आरक्षी संपत्ति के संबंध में इस तरह के एक या एक से अधिक कार्य, आप और श्रीमान भूपन नदी होने की तिथि इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर किया गया।</div> <div>आपके अधिव्यवस्था की धारा 13 (13) के संदर्भ में भी सूचित किया जाता है कि आप कम्पनी की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना इस नोटिस के नीचे वर्णित अनुसूची में उक्त प्रतिभूति संपत्ति को विक्री/पूरे या अस्थायी स्थानांतरित करने होंगे। कम्पनी आपको और से स्थायित सहमति करके के साथ-साथ अधिक आधिकारिक दैनिकारियों के तहत उम्पन होने वाली दैनिकारियों को वसूली के लिए मांग करने के अपने अधिकार सुरक्षित रखता है। उक्त अधिव्यवस्था की धारा 13 (13) का कोई भी गैर-अपगुलन अधिनियम की धारा 29 के तहत अनुचित अपराध है।</div> </div>		
<div> <div>मूलधन शेष</div> <div>बकाया किस्तों का व्याज</div> </div>	<div> <div>₹.41,71,862/-</div> <div>₹. 6,06,311/-</div> </div>	
<div> <div>विलंब भुगतान व्याज</div> </div>	<div> <div>₹.2,37,544/-</div> </div>	
<div> <div>चेक वार्डेंसिंग शुल्क</div> </div>	<div> <div>₹. 10,000/-</div> </div>	
<div> <div>अन्य शुल्क</div> </div>	<div> <div>₹. 7750/-</div> </div>	
<div> <div>कुल देय राशि</div> </div>	<div> <div>₹. 50,33,586/-</div> </div>	
<div> <div>यह नोटिस कम्पनी के तम तरह के अन्य कार्यों या कानूनी कार्यवाही शुरू करने के अधिभार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, जैसा कि यह कानून के किसी भी लागू प्रावधानों के तहत आवश्यक है। इसके अलावा कम्पनी को उपरोक्त ऋण खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए तत्काल नोटिस में विचार किए गए कार्रवाई के अलावा दोषीना या अन्य कार्य का कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है, जैसा कि उचित समझा जा सकता है।</div> <div>कृपया ध्यान दें कि उधारों खातों में आपके द्वारा किए गए समझौता प्रस्ताव आदि के बावजूद, यदि कोई हो, लेकिन कम्पनी द्वारा अनुकूल रूप से नहीं माना जाता है, लेकिन इस तरह का एक समझौता कम्पनी को आपकी अनुपस्थिति नहीं किया है, जो यह नोटिस प्रभावशील है।</div> <div>कृपया ध्यान दें SARFASIA ACT की धारा 19 (8) के प्रावधानों के और आकांक्षित किया जाता है, जिसके तहत आप बकाया पूरा राशि को एक साथ सभी लगानों, शुल्कों और कम्पनी द्वारा किए गए कार्य के लिए क्रेडल नोटिस के प्रकाशन की तारीख तक उधार करे, जो कि आप कम्पनी द्वारा सार्वजनिक उधार प्रकाशन प्रकाशन करके, जतन से निविदा या निरीक्षण द्वारा प्राप्त प्रतिभूति संपत्तियों को विक्री करके बकाया को वसूली को जारी करें। (कृपया यह भी ध्यान दें कि यदि कम्पनी द्वारा लगान, शुल्क और व्यय के साथ-साथ बकाया पूरा राशि को सार्वजनिक निर्याती द्वारा प्राप्त प्रतिभूति संपत्तियों को वसूली को विक्री के लिए नोटिस के प्रकाशन से पहले कोटेशन, जतन से निविदा आमंत्रित करके प्रस्तुत नहीं किया जाता है।) (या निरीक्षण द्वारा प्राप्त आरक्षित संपत्तियों को भुगतान के बटवारा नहीं हो सकता है।)</div> <div>यदि आपका पास इस नोटिस के जवाब में कोई अन्यवाद है, तो कृपया इसे श्री मंगल चंद यादव नामदेव फिगवेस्ट प्राइवेट लि. के कार्यालय नामदेव फिगवेस्ट प्रा. लि. नामदेव हाउस, प्लॉट संख्या 21, नीर सागर-ए, भांकोरटा, जयपुर, राजस्थान में जमाव दें। कृपया ध्यान दें कि इस नोटिस के जवाब में यह आप किसी भी अन्यवाद को भी अस्वीकार करने का जवाब नहीं देने के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे यदि वह किसी अन्य व्यक्ति या स्थान को संबोधित किया गया।</div> </div>		
<div> <div>प्रतिभूति संपत्तियों को भुगतान के लिए उल्लेख सम्यक के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उक्त-धारा (8) के प्रावधानों के लिए ऋणी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।</div> </div>		
<div> <div>प्रतिभूति आरित्या का विवरण</div> </div>		
<div> <div>श्रीमती अंजू पांडे पत्नी श्री ज्ञानेश कुमार पांडे के नाम से रिहायशी संपत्ति के सभी खंड और जिसमें हिस्से में आराजी संख्या 134, मौजा-अलीनगर, परगना-भूर, धौलपुर, सारन, जलिन-चंडौली, उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 4760.22 वर्गफीट है। सीमाएं:-</div> </div>		
<div> <div>उत्तर: मोहन पुर एवं की भूमि</div> <div>दक्षिण: खंडजा की ओर जाने वाला रास्ता, उसके द्वारा राजनाथ का मार्ग।</div> <div>पूर्व: रामपाल की भूमि</div> <div>पश्चिम: एकलव्य विद्यालय की चांदौली वारी</div> </div>		
<div> <div>नामदेव फिगवेस्ट प्रा. लि.</div> <div>प्राधिकृत अधिकारी, मंगल चंद यादव</div> </div>		

सिक्वोरिटार्डेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनंशियल एसेट्स एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ सिक्वोरिटार्ड इंटररेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना				
अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (क)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रु.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HLAPAGR00289797 1. उर्वशी विंग प्रोपराइट्टे मेसर्स उर्वशी ट्रेडर्स 2. कुलभूषण विंग	प्लैट नंबर 12/बी/1, क्षेत्रफल 850 वर्ग फीट यानी 78.96 वर्ग मीटर है और 12/बी/2, जिसका क्षेत्र 660 वर्ग फीट यानी 61.31 वर्ग मीटर है, कुल क्षेत्र 140.27 वर्ग मीटर है, पदली मंजिल, प्लॉट नंबर 12 पर निर्मित है, खसरा नंबर 149 और 150 (निग) मारुति सिटी कॉलोनी मौजा में स्थित है, कहरई / ताज गंज वाई, आगरा-282001, उत्तर प्रदेश।	04.12.2025	रु. 32,36,76.02/- (रूपए बत्तीस लाख छत्तीस हजार तीन सौ छिहत्तर और दो पैसे मात्र) 05.12.2025 के अनुसार
2.	कर्ज खाता क्र. HHLDCP00128113 1. हरकेश सिंह 2. रोहिणी सिंह 3. श्रीकांत सिंह (गारंटर)	प्लैट नंबर -619, छठी मंजिल पर, ब्लॉक-डी में, टाइप 'डी' डीडिए एचआरजी पतेडस, सेक्टर-29 रोहिणी, नई दिल्ली-110085।	08.08.2024	रु. 22,70,596.52/- (रूपए बाईस लाख सत्तर हजार पांच सौ छियावन और बावन पैसे मात्र) 12.12.2025 के अनुसार
3.	कर्ज खाता क्र. HHENDA00381981/ HHLNDA00376909 1. सुरेश कुमार प्रोपराइटर शिव शक्ति इलेक्ट्रिकल्स 2. मीनाक्षी	पूरी दूसरी मंजिल, छत के अधिकारों के बिना, प्लॉट बेअरिंग नंबर 135 पर फ्री होल्ड चार मंजिला निर्मित संपत्ति का एक हिस्सा भूमि क्षेत्र 48 वर्ग मीटर, ब्लॉक 'बी' पॉकेट 'G' सेक्टर 11 में, रोहिणी आवासीय योजना के ले-आउट प्लान में स्थित है, दिल्ली-110085, उस संपत्ति के नीचे भूमि के फ्री होल्ड अनुपातिक अधिकार के साथ अलग विजली और सार्वजनिक जल सीवेज कनेक्शन से सुसज्जित, रोहिणी आवासीय योजना दिल्ली-110085।	03.10.2025	रु. 9,84,248/- (रूपए नौ लाख चौरासी हजार दो सौ अठ्ठात्तास मात्र) (लोन सुविधा नंबर 1 के विकल्प) और रु. 14,99,639.38/- (रूपए चौदह लाख नित्यानवे हजार छह सौ उनतालीस और अड़तीस पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 2 के विकल्प) कुल बकाया राशि रु. 24,83,887.38/- (रूपए चौबीस लाख तिरासी हजार आठ सौ सत्तासी और अड़तीस पैसे मात्र) (लोन सुविधा नंबर 1 और 2 के विकल्प) 22.12.2025 के अनुसार
4.	कर्ज खाता क्र. HHLJKU00556173 1. बबली (रक्त-उधारकर्ता, स्वर्गीय रमेश चंद्र की पत्नी और कानूनी उत्तराधिकारी)	पूरी दूसरी मंजिल, प्राइवेट नंबर 14, अधिकार, सामान्य बीथ में दाहिनी तरफ, छात्र/सार्वजनिक टेरेस के अधिकार के बिना, संपत्ति प्लॉट नंबर 59/2 पर निर्मित संपत्ति में से है, ताज हाउसिंग, सुपर एरिया 65 वर्ग गुन गुन या 54.34 वर्ग मीटर है, कुल भूमि क्षेत्र 335 वर्ग गुन में से, यानी 280.6 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 15/17/1 में से, ब्लॉक ए-3, टावर-3, गांव राजपुर बुद्ध, दिल्ली राज्य की कॉलोनी जिसे मोहन गार्डन उत्तम नाम के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पश्चिम दिल्ली-110059, नई दिल्ली। भूमि के नीचे अधिभाजित, अधिभाज्य अनुपातिक अधिकारों के साथ-साथ सार्वजनिक पार्किंग क्षेत्र के साथ दो पहिया वाहन पार्किंग सहित सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार।	04.12.2025	रु. 28,72,372.89/- (रूपए अठ्ठाईस लाख बत्तर हजार तीन सौ बहतर और नवतीस पैसे मात्र) 09.12.2025 के अनुसार
5.	कर्ज खाता क्र. HHLHAG00523624 1. प्रमोद शर्मा 2. मनोबा शर्मा	नीचे दी गई भूमि/संपत्तियों के सभी भाग या खंड, साथ में वर्तमान और/वा भविष्य की सभी संरचनाएं, इमारतें, फर्नीचर, फिक्चर्स, फिटिंग, स्टैंडिंग और/या संयंत्र और यशोनीरी को स्थापित हैं/स्थापित की जाती हैं और/या निर्मित हैं/निर्मित की जाती हैं और/जिसमें मनोबा शर्मा के सभी वर्तमान और/वा भविष्य के अधिकार, स्वाभिमत और/वा हित शामिल हैं; आवासीय भवन नंबर 31/एस/एच/1, प्लॉट नंबर 01 के भाग पर निर्मित है, जिसका क्षेत्र 100 वर्ग गुन है, जो 83.61 वर्ग मीटर क्षेत्र के बराबर है, पूर्व से पश्चिम 31 फीट, उत्तर में से, दक्षिण 29 फीट भवन, और भूमि बेअरिंग निग खसरा नंबर 851 है, वाई/परगना ताजगंज वाई आगरा, मोहाड़ा/गांव वाका मोटा राजपुर, तहसील और जिला आगरा, एक किता, जिसकी कब्जा 12 की चौड़ी है।	04.12.2025	रु. 23,20,301.84/- (रूपए तेईस लाख बीस हजार तीन सौ एक और तीस पैसे मात्र) 09.12.2025 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाले(ले) ने ऋण खते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिलनेस सर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले(ले) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट घनराशि बकाया भी हुई है।

उधार लेने वाले(ले) के नाम से ऋण घनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनकर परिचालित करें। (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वनीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, ये इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अवगत ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ डी में उल्लिखित बंधन रखी गई संपत्ति को अधिहीन करने से प्रतिबंधित है।

कृपया ध्यान दें कि सरकारी कानून की धारा 13 की उप-धारा (B) के प्राधान्यों के अनुसार, "कर्जदार सार्वजनिक नीताभी केवल, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तिता की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्वोरिटर्ड कैडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चा, लागतों और प्रभावों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयवधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कन्दार फिलवेल वहेने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता"।

सिक्वोरिटर्ड अनिवार्य की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्राधान्यों के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पहुँ के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्ण लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित है।

कृते सम्मान केपिटल लिमिटेड  
(पहले इंडियाग्रुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)  
प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : आगरा / नई दिल्ली